संख्या-54/001/192डब्लू-25-27-3099-183-2025

प्रेषक,

सिद्धाशरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांकः 10 अक्टूबर, 2025**

विषयः अनुबंध संख्या-02/ई0ई0/2013-14 मैसर्स जी0एस0 एसोसिएट्स सहयोगी सादिक अख्तर के अवशेष भुगतान हेतु में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.08.2025 के अनुपालन हेतु धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-647/मु0अ0(अनि)/अनिमं-6/यू-3/भारित मद/पूर्वीगंगा, दिनांक 04.09.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, मुरादाबाद से संबंधित अनुबंध संख्या-02/ई0ई0/2013-14 में ग्राम मुबारकपुर से सादनगर तक स्थित जमींदारी बन्ध पर रामगंगा नदी का दबाव कम करने हेतु क्यूनेट 'ए' के निर्माण में याची मैसर्स जी0एस0 एसोसिएट्स/ठेकेदार द्वारा कराये गये कार्य के अवशेष भुगतान हेतु मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-27202/2025 मै0 जी0एस0 एसोसिएट्स बनाम उ0प्र0 सरकार व 04 अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.08.2025 की अनुपालना हेतु धनराशि रूपये 15,51,152.00 (पन्द्रह लाख इक्यावन हजार एक सौ बावन रूपये मात्र) को प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार भुगतान किये जाने की विधिक बाध्यता है।

अतः सिंचाई खण्ड, मुरादाबाद से संबंधित अनुबंध संख्या-02/ई0ई0/2013-14 में याची मैसर्स जी0एस0 एसोसिएट्स/ठेकेदार द्वारा कराये गये कार्य के अवशेष भुगतान हेतु मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-27202/2025 मै0 जी0एस0 एसोसिएट्स बनाम उ0प्र0 सरकार व 04 अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.08.2025 की अनुपालना हेतु धनराशि रूपये 15,51,152.00 (पन्द्रह लाख इक्यावन हजार एक सौ बावन रूपये मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त धनराशि का भुगतान किये जाने से पूर्व गणनाचक्र की शुद्धता की जांच प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

द्वारा सुनिश्चित रूप से कर ली जायेगी। गलत/त्रुटिपूर्ण भुगतान हेतु सम्बन्धित अधिकारीगण व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 15,51,152.00 (पन्द्रह लाख इक्यावन हजार एक सौ बावन रूपये मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 094 लेखाशीर्षक-4700-33-051-10-14 सम्बद्ध कार्य मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (भारित) के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय
सिद्धाशरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव

<u>पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (रूहेलखण्ड), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, बरेली।
(6) मुख्य अभियन्ता (पूर्वीगंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, मुरादाबाद।
(7) अनु सचिव(लेखा)/आहरण वितरण अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(8) कोषाधिकारी, मुरादाबाद।
(9) अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, मुरादाबाद।
(10) अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, मुरादाबाद।
(11) सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(12) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
(13) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
(14) गार्ड फाईल।

आज्ञा से
चन्द्र भूषण
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।